फर्द अहकाम

घासी बनाम किशना

...यालय

...या 44/2003 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
20/9/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 25/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
28/10/24	पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि पूर्व मे दिनांक 26/7/24 को उक्त प्रकरण के साथ बउनवानी प्रकरण नानूलाल V/S घासी को हमशामिल कर दिया गया था। किन्तु बउनवानी प्रकरण नानूलाल V/S घासी मु० नं० 318/2006 घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जबकि उक्त प्रकरण घासी V/S किशना वगै. मे केवल स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है इसलिए घासी V/S किशना मु० नं० 44/2003 को नानूलाल V/S घासी मु० नं. 318/2006 के साथ समेकित किया जाना चाहिए था। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी मे आती है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। अत: आदेशिका दिनांक 26/7/2024 को दुरूस्त किया जाकर बउनवानी प्रकरण घासी V/S किशना वगै. मु. नं. 44/2003 को बउनवानी प्रकरण नानूलाल V/S घासी मु. नं. 318/2006 के साथ समेकित किया जाता है। पत्रावली दर्ज नं. से कम हो। पत्रावली बउनवानी प्रकरण नानूलाल V/S घासी के साथ हमशामिल रहे।	

उपखण्ड अधिकारी

फागी,